सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला–अजमेर (राज.)

राजस्व वाद संख्या –32/2018

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

1. जगदीश पुत्र मोहन धोबी
2. रामनिवास पुत्र मोहन धोबी

समस्त जाति धोबी निवासीगण घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र बंशीलाल धोबी
2. अलोलदेवी पत्नि नन्दकिशोर धोबी
3. श्योजीराम पुत्र देवीलाल मीणा
4. अम्बालाल पुत्र देवीलाल मीणा
   समस्त निवासीगण घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर जिला अजमेर

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांकः–10.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प घटियाली में पेश हुई। वादीगण/प्रतिवादीगण उपस्थित। विवरण निम्न प्रकार है–

वादीगण ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राज. काश्त. अधिनियम सपठित धारा 128 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 312 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4344, 4345, 4346, 6781/3402, 6782/4347 रकबा क्रमशः 0.05 है., 0.20 है., 0.20 है., 0.21 है., 0.06 है. वादीगण की खातेदारी की आराजीयात है एवं मौके पर वादीगण का ही कब्जा काश्त है। वाद ग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की आराजी है जिसमें प्रतिवादीगण 1 से 4 का कोई हक हिस्सा एवं किसी प्रकार का सरोकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 5 लैण्डलार्ड (भूमि का मालिक) होने से पक्षकार बनाया गया है। वादीगण की उक्त वादवर्णित आराजीयाज के पडोसी खातेदार ने वादीगण की आराजी के सीमा चिन्ह को नष्ट कर दिया है जिससे उक्त वादवर्णित आराजी की पत्थरगढी हेतु वादीगण ने यह दावा पेश किया है। अतः वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जावें।

हमने वादी का दावा दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि वादीगण अपनी स्वयं की आराजी की पत्थरगढी कराना चाहताहै। वादग्रस्त आराजी में पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार जवाब सरकार में उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की स्वयं की आराजीयात होने से वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

हमने वाद पत्र का अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी में पैरोकार सरकार के जवाब एवं पटवारी रिपोर्ट अनुसार जवाब सरकार में उक्त वाद वर्णित आराजीयात वादीगण की स्वयं की आराजीयात होने से वाद पत्र स्वीकार योग्य है। वादीगण का प्रेमाफैसाई केस होना पाया जाता है। अतः वादपत्र का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में होना जाहिर होता है।

अतः वादी का दावा अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का वादग्रस्त की भूमि वाके ग्राम घटियाली तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता नम्बर 312 में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 4344, 4345, 4346, 6781/3402, 6782/4347 रकबा क्रमशः 0.05 है., 0.20 है., 0.20 है., 0.21 है., 0.06 है. की पत्थरगढी हेतु वादीगण का दावा स्वीकार किया जाता है साथ ही प्रतिवादीगण को उक्त वादवर्णित खसरान में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु जर्ये निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर तहसीलदार सावर को वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि वे नियमानुसार शुल्क जमा कर वादग्रस्त भूमि पत्थरगढी कर मौका रिपोर्ट (पालना)मय मौका पर्चा नजरी नक्शा के न्यायालय हाजा में पेश करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनाक10.05.2018को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्डअधिकारी
केकड़ी